<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

जनपद–रामपुर दिनांक 14–09–2020

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर द्वारा शराब बनाने व बेचने वालों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में 410 लीटर नाजायज शराबखाम व 01 शराब भट्टी के साथ 13 अभियुक्तगण गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में शराब बनाने व बेचने वालों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर श्री अरूण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा समस्त क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में **(01)–थाना गंज** पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त आरिफ पुत्र अशराफ खां निवासी चपटा कालोनी थाना गंज, रामपुर को 20 लीटर नाजायज शराब के साथ, **(02)–थाना अजीमनगर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त** अमरजीत पुत्र नरेश निवासी परचई थाना अजीमनगर, रामपुर को 32 लीटर नाजायज शराब के साथ, **(03)–थाना मिलकखानम** पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण फुम्मन पुत्र हरवंश निवासी ग्राम कुवॅरपुर थाना मिलकखानम, रामपुर तथा रामकुमार पुत्र कन्हाईलाल निवासी टकलाबाद थाना मिलकखानम, रामपुर को 100 लीटर (50–50 ली0) के साथ, **(04)–थाना खजुरिया** पुलिस द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह पुत्र हरभजन सिंह व दाता राम पुत्र भजनलाल नि0गण ग्राम पईपुरा थाना बिलासपुर, रामपुर को 40 लीटर (20–20ली0) नाजायज शराबखाम के साथ **(05)– थाना केमरी** पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण वीरपाल पुत्र त्रिलोकी निवासी ग्राम चकिया हयातनगर थाना केमरी, रामपुर को 20 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ तथा ज्ञान प्रकाश पुत्र धर्मदास निवासी ग्राम लोहा पट्टी बसन्तपुर थाना केमरी, रामपुर को 20 लीटर के साथ एवं सोनू पुत्र बूटा सिंह निवासी बेरी खेडी थाना बिलासपुर, रामपुर को 60 लीटर नाजायज शराब खाम के साथ **(06)–थाना पटवाई** पुलिस द्वारा अभियुक्त सुरेश पुत्र काशीराम निवासी ग्राम गौसमपुर का मझरा थाना पटवाई, रामपुर को 50 लीटर नाजायज शराब व शराब भट्टी के साथ **(07)–थाना शहजादनगर** पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रीतम पुत्र नारायणदास निवासी दबका थाना शहजादनगर को 35 लीटर नाजायज शराब के साथ **(08)–थाना भोट** पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण सुरेन्द्र सिंह पुत्र सेवा सिंह व चरन सिंह पुत्र लालकुंवर निवासीगण ग्राम रायपुर थाना भोट, रामपुर को 40 लीटर(20–20ली0) के साथ गिरफ्तार किया गया।

थाना पटवाई पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को शराब भट्टी व 50 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ किया गिरफ्तार।

थाना केमरी पुलिस द्वारा 60 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

थाना मिलकखानम पुलिस द्वारा 100 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 02 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

थाना भोट पुलिस द्वारा 40 लीटर (20–20 ली0) नाजायज शराबखाम के साथ 02 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

थाना शहजादनगर पुलिस द्वारा 35 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

थाना केमरी पुलिस द्वारा 20 लीटर नाजायज शराबखाम के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

थाना टांडा :–घर में घुसकर जान से मारने की नियत से फायर कर गम्भीर रूप से घायल करने का मुख्य आरोपी पूर्व बसपा जिलाध्यक्ष जनपद उधमसिंहनगर को घटना में प्रयुक्त की गयी, लाईसेंसी रिवॉल्वर 32 बोर मय 04 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर के साथ किया गिरफ्तार –

पूर्व बसपा जिलाध्यक्ष जनपद उधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) विनोद कुमार गौतम पुत्र मेवाराम निवासी ग्राम पैगा थाना आई0टी0आई0 जनपद उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड आदि 03 अभियुक्तगण द्वारा वादी श्री रामौतार पुत्र श्री सुक्कन सिंह निवासी सैदनगर थाना टाण्डा के घर में घुसकर वादी के पुत्र प्रशान्त व पुत्र वधु कामिनी पर जान से मारने की नियत से फायर किया था जिससे दोनों गम्भीर रूप से घायल हो गये थे। इस सम्बन्ध में वादी श्री रामौतार उपरोक्त की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 12–09–2020 को थाना टांडा पर मु0अ0सं0–238/20 धारा 452,307 भादवि बनाम आदि 03 नफर पंजीकृत हुआ था।

थाना टांडा पुलिस द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित **विनोद कुमार गौतम को घटना में प्रयुक्त की गयी लाईसेंसी रिवॉल्वर 32 बोर मय 04 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर** के साथ गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–
विनोद कुमार गौतम पुत्र मेवाराम निवासी ग्राम पैगा थाना आई0टी0आई0 जनपद उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड। **(पूर्व बसपा जिलाध्यक्ष जनपद उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड)** उम्र लगभग– 45 वर्ष

बरामदगी–
अभियुक्त विनोद कुमार गौतम के कब्जे से घटना में प्रयुक्त की गयी लाईसेंसी रिवॉल्वर 32 बोर मय 04 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद हुई।

कार्यवाही–
01–मु0अ0सं0–238/20 धारा 452,307 भादवि।
02–मु0अ0सं0–240/20 धारा 30 आर्म्स एक्ट।

थाना टांडा :–घर में घुसकर जान से मारने की नियत से फायर कर गम्भीर रूप से घायल करने का मुख्य आरोपी पूर्व बसपा जिलाध्यक्ष जनपद उधमसिंहनगर को घटना में प्रयुक्त की गयी लाईसेंसी रिवॉल्वर 32 बोर मय 04 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर के साथ किया गिरफ्तार।

थाना टांडा :–02 अद्द नाजायज तमंचों के साथ 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार–

दिनांक 14–09–2020 को थाना टांडा, रामपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण 01–मौहम्मद उस्मान पुत्र शरीफ अहमद निवासी दढियाल बाजार वाला थाना टांडा, रामपुर को एक अद्द नाजायज तमंचा 315 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 315 बोर के साथ पेट्रोल पम्प के पास काशीपुर रोड से, 02–जसीम पुत्र हनीफ निवासी लोधीपुर थाना टांडा, रामपुर को एक अद्द नाजायज तमंचा 12 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 12 बोर के साथ ग्राम लोधीपुर ज्यारत के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

01– मौहम्मद उस्मान पुत्र शरीफ अहमद नि0 दढियाल बाजार वाला थाना टांडा,

02– जसीम पुत्र हनीफ निवासी लोधीपुर थाना टांडा, रामपुर।

बरामदगी–

01– मु0अ0सं0–244/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम मौहम्मद उस्मान।

02– मु0अ0सं0–245/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम जसीम।

थाना टांडा :–02 अद्द नाजायज तमंचों के साथ 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

थाना स्वार :–कुकर्म करने व दहेज की मॉग करने में पति गिरफ्तार

दिनांक 31–09–2020 को थाना स्वार, रामपुर पर मु0अ0सं0–331/20 धारा 498ए,323,494,367,377,376डी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट बनाम मुख्सर अली आदि 06 नामजद व 02 का अभियोग पंजीकृत हुआ था। उक्त अभियोग में वॉछित चल रहे अभियुक्त/वादिया के पति मुबसर अली पुत्र सफदर अली निवासी ग्राम मिलक काजी थाना स्वार, रामपुर को आज उसके घर से गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है। अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

थाना स्वार :–कुकर्म करने व दहेज की मॉग करने में पति गिरफ्तार

थाना सिविल लाइन :–01 अद्द नाजायज तमंचा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 14–09–2020 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा फईम पुत्र नसीर अहमद निवासी ग्राम शादी की मडैइया थाना सिविल लाइन, रामपुर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अद्द नाजायज तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुए। इस सम्बंध में थाना सिविल लाइन, रामपुर पर मु0अ0सं0–285/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गई।

थाना सिविल लाइन :–01 अद्द नाजायज तमंचा बरामद, 01 अभियुवत गिरफ्तार

थाना शहजादनगर :–घर में घुसकर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 13–09–2020 को आफताब पुत्र अब्दुल समद नि0 मढैया उदयराज थाना शहजादनगर, रामपुर द्वारा वादी श्री लाल सिंह पुत्र श्री विधि सिंह नि0 मढैया उदयराज थाना शहजादनगर, रामपुर के घर में घुसकर बिना किसी वजह के गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस सम्बंध में थाना शहजादनगर, रामपुर पर मु0अ0सं0–210/20 धारा 457,504,506 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 14–09–2020 को थाना शहजादनगर, रामपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त आफताब को गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है।

थाना शहजादनगर :–घर में घुसकर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

थाना अजीमनगर :–सट्टे की खाईबाडी करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 13–09–2020 को थाना अजीमनगर, रामपुर पुलिस द्वारा सट्टे की खाईबाडी करते हुए, ऐदल सिंह पुत्र इन्दर नि0 बगडखॉ मजरा थाना अजीमनगर, रामपुर को प्रताप की दुकान के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से सटटे की डायरी, पैन व 200 रूपये नगद बरामद हुए। इस सम्बंध में थाना अजीमनगर, रामपुर पर मु0अ0सं0–253/20 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गई।